सिफ्सा SIFPSA

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

m Sehat
What gets measured, gets managed

स्वास्थ्य संवर्धन

सिफ्सा की नवीन परियोजनाओं और मानव हित की कहानियों पर आधारित मासिक समाचार पत्रिका

जुलाई 2016, अंक-2

राज्य परिवार नियोजन सेवा अभिनवीकरण परियोजना एजेंसी (सिफ्सा), भारत सरकार, यू.एस.ए. आई.डी. और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जोकि प्रदेश में अभिनव परिवार नियोजन सेवाएं परियोजना (आई.एफ.पी.एस.) संचालित कर रहा है। पिछले दो दशकों से सफल कार्यान्वयन द्वारा सिफ्सा ने वैश्विक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है और परिवार नियोजन, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभिनव रणनीतियों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अनवरत काम कर रहा है।

स्वास्थ्य संवर्धन समाचार पत्रिका, सिफ्सा द्वारा क्रियान्वित नवीन परियोजनाओं/कार्यक्रमों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं/सफलता की कहानियों को अपने पाठकों से साझा करने का एक अभिनव प्रयास है। इस पत्रिका के माध्यम से सिफ्सा द्वारा संचालित कार्यक्रमों से क्षेत्र, समुदाय एवं चिकित्सा इकाइयों के स्तर से प्राप्त रोचक कहानियों को भी समाहित किया जा रहा है।

.......सम्पादक की कलम से

"स्वास्थ्य संवर्धन" पत्रिका के प्रथम संस्करण के सफल प्रस्तुतिकरण के बाद, मैं इस समाचार पत्रिका के दूसरे संस्करण को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्न हूँ। इस माह के संस्करण में दो महत्वपूर्ण नवीन परियोजनायें प्रस्तुत की जा रही हैं, जिन पर हाल में सिफ्सा द्वारा कार्य शुरू किया गया है। सिफ्सा ने हौसला प्रशिक्षण केन्द्र (एच.टी.सी.) परियोजना की घोषणा की, जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के डॉक्टरों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को परिवार नियोजन से सम्बन्धित गुणवत्तापरक क्लीनिकल प्रशिक्षण प्रदान कर राज्य की क्षमता में सुधार किया जा रहा है। लगभग एक दशक पहले प्रदेश के मंडलीय जनपदों में 10 मंडलीय क्लीनिकल प्रशिक्षण केन्द्र (डी.सी.टी.सी.) सिफ्सा द्वारा पोषित थे जो बाद में इकाई आधारित क्लीनिकल प्रशिक्षण केन्द्रों (एफ.बी.सी.टी.सी.) के नाम से संचालित किये गए। वर्तमान में इन प्रशिक्षण केन्द्रों का नाम 'हौसला प्रशिक्षण केन्द्र' कर दिया गया है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में सिफ्सा द्वारा मानव संसाधन एवं अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराया गया है, तथा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करते हुए नवीनतम पाठ्यक्रम के साथ ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सिफ्सा ने 25 नये हौसला प्रशिक्षण केन्द्रों (एच.टी.सी.) की स्थापना जिला महिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेजों में की है एवं प्रयास है कि चिकित्सकों को उनके तैनाती स्थल के समीप ही क्लीनिकल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान में कुल 35 हौसला प्रशिक्षण केन्द्र (एच.टी.सी.) क्रियाशील हैं। यह मेरा विश्वास है कि हम परिवार नियोजन के विभिन्न क्लीनिकल तरीकों पर कुशल चिकित्सकों का एक पूल बनाने में सक्षम होंगे तथा इन एच.टी.सी. की क्षमता से हौसला साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत उ0प्र0 सरकार से सम्बद्ध निजी क्षेत्र के अस्पतालों के चिकित्सकों को भी परिवार नियोजन में प्रशिक्षित कर उनका उपयोग किया जा सकेगा।

सिफ्सा ने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समर्पित, महिलाओं को सशक्त करके अपने स्वास्थ्य की स्वयं देखभाल करने और समुचित उपचार के लिए अवसर पैदा करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जनसंख्या सर्विसेज इंटरनेशनल (पी.एस.आई.) के साथ भागीदारी में राज्य के चुनिंदा जनपदों के जिला अस्पतालों और सी.एच.सी. पर 'संपूर्णा क्लिनिक' स्थापित की है। संपूर्णा परियोजना के माध्यम से महिलाओं के बीच स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे एवं गैर संचारी रोगों (एन.सी.डी.) को चिन्हित करने का कार्य किया है जिनमें गर्भाशय में ग्रीवा के कैंसर और अन्य एन.सी.डी. के लिए 'स्क्रीनिंग और इलाज' पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 5 जनपदों में सफल पायलट के बाद, 'संपूर्णा परियोजना' प्रदेश में 28 जनपदों तक बढ़ायी गयी है। "स्वास्थ्य संवर्धन" के वर्तमान अंक के संस्करण में 'संपूर्णा क्लीनिक' पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

हम सिफ्सा की अगुआई में प्रदेश में किये जा रहे अत्याधुनिक इनोवेटिव कार्यक्रमों पर आपके विचारों और सुझावों के लिए तत्पर हैं। कृपया अपने विचार एवं टिप्पणियों को वेबसाईट editornh@sifpsa.org पर भेजें।

आलोक कुमार, आई.ए.एस.
अधिशासी निदेशक-सिफ्सा

संक्षिप्त समाचार –

- **सिफ्सा द्वारा यू.पी.एच.पी.एफ. में प्रतिभाग:** उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य 'पार्टनर्स फोरम' एक जीवंत अनौपचारिक संघ है, जो बातचीत, संवाद और साझेदारी हेतु, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, परिवार कल्याण महानिदेशालय, सिफ्सा और 25 से अधिक अर्न्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विकास से सम्बन्धित एजेन्सी जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही हैं, के प्रतिनिधियों को एक साझामंच उपलब्ध कराती है। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अध्यक्षता में दिनांक 25 मई 2016 को एच.पी.एफ. की पिछली बैठक में यह निर्णय पारित किया गया कि राज्य स्तर की तरह सिफ्सा द्वारा सभी मंडलों में मण्डलीय स्वास्थ्य पार्टनर्स फोरम एवं जनपदों में जिला स्वास्थ्य पार्टनर्स फोरम का गठन एवं आयोजन किया जायेगा।
- **जून 25, 2016, सिफ्सा के लिए उपलब्धियों का एक दिन:** दिनांक जून 25, 2016 को उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों के जिलाधिकारियों और सी.डी.ओ. की उन्मुखीकरण कार्यशाला के दौरान न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा एम-सेहत वेबसाईट 'www.mSehat.org' को लांच किया गया, वरन आशा न्यूजलेटर और तीन ब्रोशर एम-सेहत (एक नया सवेरा), सम्पूर्णा क्लीनिक-'अच्छे स्वास्थ्य के लिए समाधान' तथा सेहत संदेशवाहिनी-'दिल को छू लेने वाली योजना' का विमोचन भी किया, जिनका निर्माण एवं मुद्रण सिफ्सा ने किया था।

हौसला प्रशिक्षण केन्द्र : गुणवत्तापरक कौशल वृद्धि

सिफ्सा द्वारा परिवार नियोजन के क्षेत्र में किये नये अभिनव कार्यों की सदैव सराहना की गयी है तथा अभी हाल में सिफ्सा ने राज्य के चयनित जिला अस्पतालों को क्लीनिकल परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में विकसित कर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन केन्द्रों को 'हौसला प्रशिक्षण केन्द्रों'' के रूप में विकसित करके सिफ्सा द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया गया है।

सिफ्सा द्वारा विश्व स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं को क्लीनिकल परिवार नियोजन सेवाओं में लागू करने के लिए प्रदेश में "उत्कृष्टता के केन्द्र" तथा "विकेन्द्रित प्रशिक्षण केन्द्र" समय समय पर स्थापित किए गए हैं। क्लीनिकल परिवार नियोजन गतिविधियों को उत्तर प्रदेश में सिफ्सा द्वारा वृहद सहयोग दिया गया है। वर्तमान में क्लीनिकल परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र 10 जनपदों क्रमशः आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, सहारनपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं वाराणसी में स्थित हैं, जो उत्तर प्रदेश के सभी चार रीजनल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मण्डलीय क्लीनिकल प्रशिक्षण केन्द्रों (डी.सी.टी.सी.) की स्थापना जिला महिला चिकित्सालयों में वर्ष 2008-09 में की गयी थी, जिनमें जिला महिला चिकित्सालय के बुनियादी ढांचा, स्टाफ, उपकरण तथा चिकित्सालय के आपरेशन थियेटर की मरम्मत कराकर चिकित्सालय का सुदृढ़ीकरण किया गया तथा एक आदर्श प्रशिक्षण हॉल की भी स्थापना, प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए की गयी। सिफ्सा उत्तर प्रदेश के उन सेवा प्रदाताओं के क्लीनिकल कौशल को भी मजबूत करने का ठोस प्रयास कर रही है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों जैसे जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्रों पर कार्यरत हैं।

मेडिकल कालेजों में विभिन्न स्तर के प्रशिक्षकों को परिवार नियोजन तकनीक में प्रशिक्षित किया गया, ताकि उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक और क्लीनिकल कौशल को शैक्षणिक संस्थानों से मंडलीय प्रशिक्षण केन्द्रों तक पहुँचाया जा सके। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को विशिष्ट प्रशिक्षण जैसे लेप्रोस्कोपिक, मिनीलैप नसबंदी तकनीक, बिना स्पर्श आई.यू.सी.डी. तकनीक और पी.पी.आई.यू.सी.डी. तकनीक प्रदान किये गये। इन 10 केन्द्रों में सफलतापूर्वक विभिन्न प्रशिक्षणों को इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संचालित किया गया, जिससे कि हर विकास खण्ड पर महिला नसबंदी के लिए एक प्रशिक्षित सेवा प्रदाता तथा हर उपकेन्द्र पर एक आई.यू.सी.डी. सेवा प्रदाता उपलब्ध हो सके। इन्जक्शन प्रशिक्षण की श्रंखला द्वारा डाक्टर और स्टाफ नर्सों को मिनीलैप, लैप्रो, आई.यू.सी.डी. और पी.पी.आई.यू.सी.डी. तकनीक में प्रशिक्षित किया गया, जिससे सेवा प्रदाताओं का एक बड़ा पूल बनाने में सफलता प्राप्त हुई। इन केन्द्रों की स्थापना के बाद से अभी तक करीब 4000 से अधिक डॉक्टर और सहयोगी स्टाफ विभिन्न परिवार नियोजन तकनीक में प्रशिक्षित किये गये हैं।

निर्धारित मानकों के अनुसार तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए सिफ्सा ने प्रशिक्षण प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है। सिफ्सा की क्षमता को समझते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इन 10 प्रशिक्षण केन्द्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सम्बन्धी प्रशिक्षण जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। वर्ष 2015-16 में सिफ्सा ने पहले से स्थापित 10 केन्द्र, जो एन.एच.एम. द्वारा वित्त पोषित थे, में विभिन्न क्लीनिकल परिवार नियोजन प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करने के लिए मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण, कार्यक्रम प्रशासन एवं अन्य लॉजिस्टिक प्रबन्धन में सहयोग प्रदान किया। सिफ्सा राज्य के लिए एफ. पी.2020 लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विकासशील भागीदारों जैसे पी0एस0आई0, एम.एस.आई. और एच.एल.एफ.पी.पी.टी. के सहयोग से निजी क्षेत्र के चिकित्सकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को भी पूर्ण कर रही है।

भारत सरकार की अपेक्षा के अनुरूप वर्ष 2016 में सिफ्सा द्वारा उक्त 10 प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त 16 जिला स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, जहां विभिन्न क्लीनिकल परिवार नियोजन प्रशिक्षणों का समग्र रूप से प्रावधान किया जा सकेगा। राज्य की आवश्यकता को देखते हुए, प्रदेश के 18 मंडलीय परियोजना प्रबंधकों द्वारा सम्बन्धित जिला महिला व संयुक्त चिकित्सालय के सी.एम.एस. से परामर्श कर प्रसव कार्यभार, नसबन्दी की उपलब्धि, उपलब्ध मानव संसाधन, प्रशिक्षकों की उपलब्धता और उनके कार्य के प्रति रूझान का एक प्रारम्भिक आंकलन किया गया। राज्य के ये चयनित 16 जनपद, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़, बलिया, ललितपुर, इटावा, गाजियाबाद, सोनभद्र, बिजनौर, जौनपुर, बदायूं, संत कबीर नगर, बांदा, अम्बेडकर नगर, देवरिया, हाथरस और सीतापुर प्रदेश के 18 मंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सिफ्सा उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन के प्रशिक्षण के सशक्तिकरण व तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। पहले से 10 स्थापित क्रियाशील प्रशिक्षण केन्द्रों और 16 नये प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त सिफ्सा 7 जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों -गोंडा, बरेली, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, अलीगढ और फैजाबाद में नये प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करने की दिशा में कार्य कर रही है। साथ ही प्रदेश के दो मेडिकल कालेजों-स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के. जी.एम.यू. लखनऊ एवं एस.एन. मेडिकल कालेज आगरा में भी सुदृढ़ीकरण एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराकर प्रदेश के समस्त 18 मंडलों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि सेवा प्रदाताओं को तैनाती स्थल के आस-पास प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में सुविधा हो सके।

प्रदेश के 35 प्रशिक्षण केन्द्रों (10 पुराने, 16 नये और 9 प्रारम्भ होने वाले) के विभागाध्यक्षों के लिए ओरियेन्टेंान व समीक्षा बैठक 16 व 17 जून 2016 को सिफ्सा में आयोजित की गयी थी, जिसमें अधिशासी निदेशक सिफ्सा द्वारा इकाई आधारित क्लीनिकल प्रशिक्षण केन्द्रों (एफ.बी.सी.टी.सी.) के स्थान पर इनका 'हौसला ट्रेनिगं सेन्टर'' नामकरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में सिफ्सा को 35 हौसला प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं उनको क्रियाशील करने का लक्ष्य दिया गया है।

सिफ्सा द्वारा पूर्ण रूप से एक निश्चित प्रणाली के तहत अभिमुखीकरण प्रशिक्षण व मानकानुसार प्रशिक्षण सामग्री, फारमेटस, प्रोटोकाल्स को विकसित किया जाता है तथा नियमित अनुश्रवण कर इन क्लीनिकल प्रशिक्षण केन्द्रों को सहयोग प्रदान किया जाता है। क्लीनिकल परिवार नियोजन प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते सिफ्सा हौसला प्रशिक्षण केन्द्रों पर कराये जाने वाले समस्त प्रशिक्षण कार्यों का डेटाबेस तथा प्रशिक्षित प्रतिभागियों की रिर्पोट परिवार कल्याण निदेशालय एवं एन.एच.एम. से नियमित रूप से साझा करती है। सिफ्सा, प्रशिक्षणोपरान्त नये प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं को उनके कार्यस्थल पर गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण भी करती है।

भारत सरकार ने हाल ही में तीन नए गर्भनिरोधक विधियों जैसे इन्जेक्टेबल, प्रोजेस्ट्रान केवल गोलियाँ और सेन्क्रोमान को शामिल किया है और इनकी निः शुल्क आपूर्ति वर्ष 2016-17 में होने की सम्भावना है। अन्य प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, हौसला प्रशिक्षण केन्द्र (एच.टी.सी.) नए गर्भ निरोधकों के तरीकों पर सेवा प्रदाताओं (डॉक्टर, स्टाफ नर्स व ए.एन.एम) की क्षमता निर्माण के लिए भी ध्यान केन्द्रित करेगी। साथ ही विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदाताओं में व्यापक जानकारी तथा समुचित सेवा प्रदान करने के लिए ए.एन.एम. और स्टाफ नर्स के प्रशिक्षण को गति प्रदान करने का प्रयास भी कर रही है। सिफ्सा का उद्देश्य, राज्य में परिवार नियोजन सेवाओं की समीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना भी है।

सिफ्सा, समस्त जनसमुदाय के लिए उनकी अपनी पसंद के अनुसार और उनकी पहुंच के भीतर गुणवत्तापरक परिवार नियोजन की सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चय ही हौसला प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का क्षमता संवर्धन, तकनीकी सहयोग, क्लीनिकल प्रशिक्षण और सहयोगात्मक अनुश्रवण का कार्य इस प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

सम्पूर्णा क्लीनिक : अच्छे स्वास्थ्य के लिए समाधान

वर्तमान में गैर संचारी रोग (एन.सी.डी.) वैश्विक मौतों के कुल 60 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं जो कि विश्व की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का मुख्य कारण है। एन.सी.डी., आर्थिक और सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव के लिये जिम्मेदार है, जिसके कारण समाज में रूग्णता दर एवं मृत्यु दर अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप मानव उत्पादकता एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में महिलाओं में एन.सी.डी. की तरह गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर और स्तन कैंसर का विभिन्न रोगों एवं मृत्यु में अधिकतम योगदान है। भारत में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के कारण हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु होती है जो कि एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है, जबकि स्तन कैंसर भारतीय शहरों की महिलाओं में कुल कैंसर के मरीजों का एक चौथाई भाग है।

महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों के प्रति संवेदनशील, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रमुख गैर संचारी रोगों के लिए महिलाओं की जांच एवं उपचार के लिए समर्पित पहल के रूप में वर्ष 2015 में संपूर्णा परियोजना का शुभारंभ किया।

संपूर्णा परियोजना का शुभारम्भ राष्ट्रीय कार्यक्रम की छतरी के अन्तर्गत कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) के बचाव हेतु महिलाओं में गैर संचारी रोगों (एनसीडी) के निवारण क दृष्टिकोण से किया गया। परियोजना का उद्देश्य केवल रोगों के लिए स्क्रीनिंग ही नहीं है अपितु इसके साथ साथ यह महिलाओं की जीवन शैली में सुधार एवं गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसर सहित एनसीडी के रोकथाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। गृहिणी परिवार की धुरी होती है, अतः उन्हें शिक्षित करने एवं उनका स्वास्थ्य ठीक रखने से निश्चित रूप से परिवार के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इस प्रकार समुदाय के नजरिए में उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल के सापेक्ष बचाव हेतु आवश्यक सावधानी बरतने जैसा व्यवहार परिवर्तन भी होगा।

World Health Organisation:

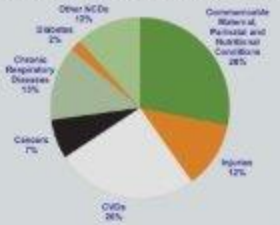

NCDs are estimated to account for 60% of total death

Institute of cytology and preventive oncology, India:

- Cancer is the second most common cause of death in India (after cardiovascular disease).
- More women in India die from cervical cancer than in any other country. One woman dies of cervical cancer every 8 minutes in India.
- Breast cancer is the most common cancer in women in India and accounts for about a quarter of all cancers in women in Indian cities.

Project Vision

Empower women to become aware of their health care needs and create opportunities to access preventive health care services.

Project Mission

Motivate women to seek knowledge about their own health care needs, to provide them access to screening services for Non Communicable Diseases, appropriate counseling and management, so that they can get screened before occurrence of diseases. This will benefit not only women but also families and community at large for achieving health, thereby reducing expenditure on health care.

परियोजना का शुभारम्भ सर्वप्रथम पाँच जनपदों में पायलेट के रूप में अवधारणा को सिद्ध करने एवं उनके परिणामों के आधार पर बड़े पैमाने पर लागू किये जाने के उद्देश्य से किया गया। वर्तमान में 23 अतिरिक्त जनपदों में इस परियोजना को विस्तार दिया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत 'सम्पूर्ण क्लीनिक' जिला महिला अस्पताल एवं चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थापित की गयी है। यहां 30-60 वर्ष की महिलाओं की स्क्रीनिंग, मधुमेह प्रबंधन, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर और स्तन कैंसर की जांच एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गयी है। यह क्लीनिक प्रशिक्षित महिलाओं की टीम द्वारा अत्यंत गोपनीयता और अपनेपन की सेवा के साथ संचालित की जा रही हैं।

परियोजना के अर्न्तगत रोगों की जांच एवं प्रबन्धन की दृष्टि से विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों/चिकित्सा अधिकारियों की क्षमता संवर्धन हेतु मेडिकल कालेजों में प्रशिक्षण स्थल स्थापित किए गए हैं।

परियोजना के सुचारू संचालन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य परिवार नियोजन सेवा अभिनवीकरण परियोजना एजेन्सी (सिफ्सा) एवं पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पी.एस.आई.) के मध्य एक एम.ओ.यू. पर हस्तक्षर किये गये हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आर्थिक सहयोग, पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पी.एस.आई.) द्वारा तकनीकी सहयोग एवं राज्य परिवार नियोजन सेवा अभिनवीकरण परियोजना एजेन्सी (सिफ्सा) द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

आरम्भिक परिणामः-

संपूर्ण क्लीनिक के माध्यम से करीब १५,००० से अधिक महिलाओं ने अभी तक विभिन्न गैर संचारी रोगों के लिए स्क्रीनिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त किया है।

हृदय रोग, हाईपरटेन्शन और मधुमेह में मोटापा एक उच्च जोखिम कारक है। संपूर्ण क्लीनिक में मोटापे को बॉडी मास इंडेक्स के माध्यम से नापा जाता है। वे सभी महिलाएं, जो मोटापे और अधिक वजन के मापदंड के अन्तर्गत आती है, उन्हें जीवन शैली प्रबंधन यानि पौष्टिक और कम वसा वाले आहार और नियमित व्यायाम के लिए सलाह दी जाती है।

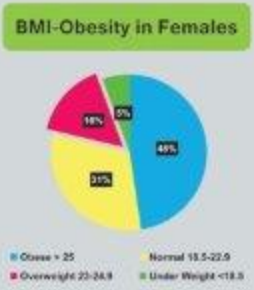

सभी लाभार्थियों का ब्लड प्रेशर लिया जाता है ताकि हाईपरटेन्शन एवं प्री हाईपरटेन्शन के बारे मे पता लगाया जा सकें। पूर्व उच्च रक्तचाप से ग्रस्त मरीजों को जीवन शैली में सुधार के लिए सलाह दी जाती है ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। यदि परामर्श प्रभावी होता है तो इन मरीजों को 3 माह बाद फिर से जांच के लिए बुलाया जाता है। यदि मरीज प्रीहाईपरटेन्शन की रेंज में रहता है तो उसको फिर सलाह दी जाती है और यदि मरीज उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हो जाता है तो इलाज के लिए संदर्भित कर दिया जाता है।

Diabetes

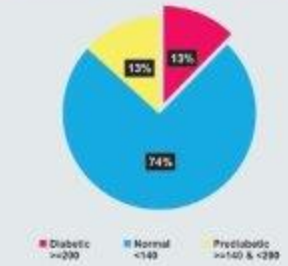

मधुमेह रोग के लिए, सभी मरीजों का रैंडम रक्त शर्करा मापा जाता है और यदि 140/एम.जी./डी.एल. से अधिक पाया जाता है तो फास्टिंग एव पी.पी. रक्त शर्करा की जांच कर प्री डायबटिक या डायबटिक मरीज की पहचान की जाती है। प्री-डायबटिक मामलों में जीवन शैली बदलने के लिए सलाह दी जाती है तथा तीन माह बाद पुनः बुलाया जाता है, ताकि सलाह का प्रभाव देखा जा सके। यदि मरीज सलाह का पालन नहीं करता है तो फिर सलाह दी जाती है। चिन्हित मरीजों को इलाज के लिए एन.सी.डी. क्लीनिक में रेफर किया जाता है।

Referred for further investigations of CVD

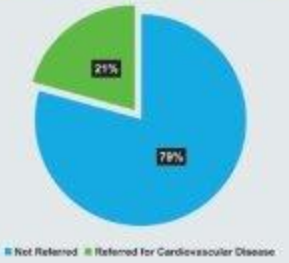

हृदय रोगों के लिए मोटापा, हाईपरटेन्शन एवं मधुमेह जोखिम के कारक है अतः इनकी रोकथाम अति महत्वपूर्ण है।

गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के कुल 1450 जांच मामलों में 2.8 प्रतिशत धनात्मक पाए गए है, जिसका मतलब है कि गर्भाशय ग्रीवा के घाव भविष्य में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के रूप में परिवर्तित हो सकते है। इन मरीजों का उपचार क्रायो चिकित्सा विधि से किया जाता है या अग्रिम चिकित्सा हेतु मेडिकल कालेज में रेफर कर दिया जाता है।

VIA-Screening

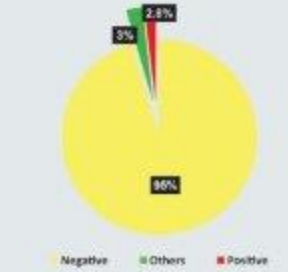

एनसीडी को रोकने और इलाज के लिए इससे पूर्व कभी भी राज्य की क्षमता को इस प्रकार सुदृढ़ नही किया गया है। वर्ष 2015-16 में "माँ और बच्चे के विशेष स्वास्थ्य देखभाल वर्ष" मनाने में सम्पूर्ण क्लीनिक परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसमें महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की देखभाल के अधिकार के बारे में जागरूक करने के साथ स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न गैर संचारी रोगो की जांच, उपचार एवं सन्दर्भन प्रबन्धन के लिए भी सुदृढ़ किया गया है।

भित्तिचित्र कोना

'माँ'

धरती का सुन्दर श्रृंगार है माँ, ईश्वर की अनमोल सौगात है माँ।
दो परिवारों के संस्कारों को संजोती, स्वस्थ समाज की नींव है माँ।।
बेटी से माँ तक और माँ से दादी तक, सभी रिश्तों की मधुर झंकार है माँ।
कोई ना पूछे क्या चाहत है उसकी, जीवन की लहलहाती बगिया की खुशबू है माँ।।

प्रीति गुप्ता, परामर्शदाता (आईईसी)

सिफ्सा SIFPSA
ओम कैलाश टॉवर, 19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश
फोन : 0522 - 2237497, 98, 2237540 । फैक्स : 0522 - 2237574
वेब : www.sifpsa.org